

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक

12/05/2022

आदेश

इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.11.2019 द्वारा परावर्तित बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिंदु संख्या-183.0.0 के संबंध में, राज्य के अधिवक्ताओं द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के समक्ष उठाये गये मुद्दों का परीक्षण करने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|--------|
| 1. श्री शांति कुमार धारीवाल,
मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | संयोजक |
| 2. श्री लालचन्द कटारिया,
मंत्री, कृषि विभाग | सदस्य |
| 3. श्रीमहेश जोशी,
मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 4. श्रीरामलाल जाट,
मंत्री, राजस्व विभाग | सदस्य |
| 5. श्री प्रताप सिंह खाचरियावास,
मंत्री खाद्य विभाग | सदस्य |
| 6. डा. सुभाष गर्ग,
राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार) | सदस्य |

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव